संख्या-1970/63-व0उ0-2009-238(एच)/01

प्रेषक,

मारकण्डेय सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांकः 25 फरवरी, 2010

विषयः- यूपिका, कानपुर के कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर के पत्र संख्या-3248/स्थापना अनु0/2009-10 दिनांक 20.11.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में यूपिका, कानपुर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू किये जाने हेतु रू03,50,00,000.00 (रूपया तीन करोड़, पचास लाख मात्र) की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप मे दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का आहरण कर यूपिका, कानुपर को उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण की शर्ते निम्नवत हैं :-

(1)- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा भुगतान की प्रगति से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

(2)- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप यूपिका का जितना दायित्व कम होगा उसका कम से कम 50प्रतिशत अंश की धनराशि ऋण की वापसी हेतु यूपिका द्वारा शासन को भुगतान किया जायेगा।

(3)- निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार, राजकीय कार्यालय महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि एवं लेखा शीर्षक अंकित करते हुए भेजेंगे। यूपिका जब भी किश्तों का भुगतान करें इसकी सूचना वे महालेखाकार कार्यालय को निम्नलिखित प्रारूप में अवश्य भेजेंगे :-

(i)- कोषागार का नाम .....

(ii)- चालान संख्या व दिनॉक .....

(iii)- जमा धनराशि रू0.....किश्त.....ब्याज.....

(iv)- लेखाशीर्षक जिसके तहत जमा किया गया.....

(v)- शासनादेश संख्या.....एल0एम0आर0 का सन्दर्भ.....

(vi)- पिछले जमा का सन्दर्भ .....

(4)- ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगॉठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करायें।

(5)- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है।

(6)- उपरोक्त ऋण के सन्दर्भ में यूपिका, कानपुर को शासन के साथ एक अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर निष्पादित करना होगा जिसमें ऋण की समस्त शर्तो का उल्लेख होगा।

(7)- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप जो पद रिक्त होंगे उनमें भविष्य में कभी भी भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा ऐसे पदों को कर्मचारी/अधिकारी की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ग्रहण करने की तिथि से ही समाप्त घोषित कर दिया जाये।

(8)- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभाग/संस्था में तैनात वित्त नियन्त्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(9)- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने वाले यूपिका के कर्मचारियों के बकाया वेतन, पी0एफ0 डयूज आदि का भुगतान यूपिका द्वारा परिसम्पत्तियों के निस्तारण से किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि रू03,50,00,000.00 (रूपया तीन करोड़, पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 के अधीन लेखाशीर्षक-''6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-आयोजनेतर-800-अन्य कर्ज-03-रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण'' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-बी0-4/39/दस-2010 दिनांक 24.02.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1970(1)/63-व0उ0-2009-तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर।
5- विकास आयुक्त, हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(बजट) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(एस0 आर0 यादव)
अनु सचिव।